न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—477/2013/75 (2013/00062)

1. सुभाष चन्द त्रिपाठी पुत्र रामनिवास त्रिपाठी (भूतपूर्व सैनिक), जाति ब्राहम्ण, निवासी जालिया—2, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. अध्यक्ष भू—आवंटन सलाहकार समिति, मसदूा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 13.1.2013 .

उपस्थितः—

1. श्री अविनाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः— 15.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय दिनांक 13.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र भू—आवंटन हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अजमेर को पेश किया जिसे उन्होंने जिलाधीश, अजमेर को प्रेषित कर दिया । जिलाधीश, अजमेर ने इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, मसदूा को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24.12.2012 को प्रेषित किया । प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम 1970 के तहत भू—आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र बतौर भूतपूर्व सैनिक उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत जांच की गई ओर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.1.2013 में प्रार्थी को भूमिहीन कृषक मानते हुए उसे सिवायचक आराजी खसरा नंबर 2089/3 रकबा 61 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बीघा भूमि आवंअन करने की सिफारिश की और आवंटन सलाहकार समिति ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 कैम्प जालिया—2 में दिनांक 13.1.2013 को शिविर का आयोजन कर आवंटन सलाहकार समिति ने प्रार्थी को आराजी खसरा नंबर 2089/3 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन करने का आदेश प्रदान कर दिया और उसी समय बैठक कार्यवाही सम्पन्न घोषित कर दी गई । इस आवंटन सलाहकार समिति में एम.एल.ए., उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, मसूदा, विकास अधिकारी पंचायत समिति, मसूदा व सरपंच ग्राम पंचायत जालिया उपस्थित थे । उक्त आवंटन के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने यह मानते हुए कि उद्घोषणा के अभाव में खसरा नंबर 2089/3 की आवंटन की कार्यवाही

निरस्त किये जाने के आदेश पारित करने का नोट दिनांक 13.1.2013 की कार्यवाही में अंकित कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा प्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने से पूर्व उसे कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी/अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है तथा भूमिहीन है जिसने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अजमेर के माध्यम से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2012 को जिलाधीश, अजमेर को प्रेषित किया था जिस पर विद्वान जिलाधीश ने मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित कर दिया था । ग्राम पंचायत जालिया–2 ने भी आराजी खसरा नंबर 2089 जो राजकीय सिवायचक भूमि है को नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक को आवंटन करने में कोई आपत्ति नहीं की थी इस कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र पर विधिवत् कार्यवाही कर आवंटन किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने न्यायिक क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर उसे खारिज करने में त्रुटि की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर पटवारी हल्का जालिया–2 कैम्प जालिया द्वारा पूर्ण जांच कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.1.2013 को पेश की जिसमें आराजी खसरा नंबर 2089/3 रकबा 61 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी 3 में भूमि आवंटन करने की सिफारिश की तथा यह अंकित किया कि प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक होने के कारण उसे भूमि आवंटन की जा सकती है । संपूर्ण जांच होने के उपरांत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.2013 को ही प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया–2 में शिविर का आयोजन किया जिसमें आवंटन नियम 1970 के नियम 13 में वर्णित आवंटन सलाहकार समिति की सदस्यगण उपस्थित हुए एवं उन्होंने समस्त कागजात व रिपोर्ट आदि का अवलोकन कर क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8 के आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन योग्य नहीं होने से सर्वसम्मति से खारिज किये तथा क्रम संख्या 5 व 6 को विधिवत् रूप से भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान किये । अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत् रूप से किया गया था जिसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को नहीं था । अधी0न्याया0 ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर आवंटन निरस्त किया है । बहस में कथन किया कि एक बार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आवंटन आदेश दिये जाने के बाद वे स्वंय अपने द्वारा पारित आवंटन आदेश को निरस्त नहीं कर सकते थे, यदि वे आवंटन को गलत मानते थे तो ज्यादा से ज्यादा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत् रखा जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्ती के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया जिससे अपीलाधीन आदेश

की अपीलांट को समय पर जानकारी नही हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.11.2013 को तब हुई जब प्रार्थी निजी कार्य से तहसील में गया तो उसे संबंधित पटवारी हल्का ने बताया कि उसका आवंटन तो दिनांक 13.1.2013 को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा खारिज कर दिया गया । तब प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आवंटन के उपरांत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के ध्यान में यह तथ्य आने पर कि आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी नहीं की गई है इसीलिये अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्त किये है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र अपीलांट का ही आवंटन निरस्त नहीं किया है वरन् खसरा नंबर 2089/3 के आवंटन की समस्त कार्यवाही निरस्त की है जिसमें अन्य व्यक्तियों के भी आवंटन निरस्त किये गये है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है तथा भूमिहीन है जिसने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अजमेर के माध्यम से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2012 को जिलाधीश, अजमेर को प्रेषित किया था जिसे पर विद्वान जिलाधीश ने मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया । उक्त आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में रखकर विवादित भूमि के आवंटन बाबत् पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.1.2013 में आराजी खसरा नंबर 2089/3 रकबा 61 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3 में भूमि आवंटन करने की सिफारिश की जिसमें यह भी अंकित किया कि प्रार्थी/अपीलांट भूतपूर्व सैनिक होने से उसे भूमि आवंटन की जा सकती है । ग्राम पंचायत जालिया–2 ने भी आराजी खसरा नंबर 2089 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है को नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक को आवंटन करने में कोई आपत्ति नहीं की है । तत्पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियम 1970 के नियम 13 में वर्णित आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यगण के उपस्थिति में समस्त कागजात व रिपोर्ट आदि का अवलोकन कर क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 7 व 8 के आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन योग्य नहीं होने से सर्वसम्मति से खारिज किये तथा क्रम संख्या 5 व 6 को दिनांक 13.1.2013 को विधिवत् रूप से आवंटन करने के आदेश पारित कर कार्यवाही सम्पन घोषित की है । उक्त आवंटन सूची में अपीलांट/प्रार्थी का क्रम संख्या 6 है । उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है किन्तु उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटन दिनांक 13.1.2013 को ही उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने आवंटन आदेश के नीचे

यह नोट अंकित किया कि '' पुनः जांच करने पर उद्घोषणा के अभाव में खसरा नंबर 2089/3 की आवंटन कार्यवाही निरस्त की जाती है ।'' इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि उक्त नोट द्वारा आवंटन निरस्त करने बाबत् अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही सुना गया है तथा यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी स्वंय की हैसियत से आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा पारित आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु सक्षम नहीं थे । इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलबध नहीं है कि अपीलांट को दिनांक 13.1.2013 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का आवंटन किये जाने के उपरांत उसी दिनांक को आवंटन आदेश निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर दिया गया हो । उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को आवंटन आदेश को निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का आदेश दिनांकित 13.1.2013 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आवंटन निरस्त किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 13.1.2013 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसदूा द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 13.1.2013 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए उभयपक्ष को इस निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें । उक्त आदेश अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण का निस्तारण होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर